

Pl. upload in  
Hsg website  
22/11/17

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(इ)( )विधि/मनो./डीएलबी/16/2576

दिनांक: 10/11/17

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 (i) (क) (ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगरपालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए नगरपालिका, भीण्डर एवं नगरपालिका, कानोड में उनके नाम के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को एतद्वारा सहवृत्त सदस्य मनोनीत करती है:-

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	व्यक्ति का नाम
1.	नगरपालिका भीण्डर	01. प्रेमशंकर पण्ड्या 02. सुरेश कण्ठालिया 03. उदयसिंह चौहान 04. लीलाधर सोनी
2.	नगरपालिका कानोड	01. गिरधारी सोनी 02. युगल किशोर श्रीमाली 03. जगदीश भण्डारी 04. पंकज मेहता

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 10/11/17

क्रमांक: प.8(इ)( )विधि/मनो./डीएलबी/16/2577-31

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को नगर निगम, उदयपुर में सहवृत्त सदस्यों के पूर्व में आदेश जारी कर दिये गये हैं, प्रति सलंगन है।
05. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
06. संबंधित समस्त उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि मनोनीत सदस्यों को एक माह में नियमानुसार शपथ दिलाने की कार्यवाही करे।
07. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ कृपया 20 प्रति भिजवाने का श्रम करे।
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
09. उप निदेशक (लेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर।
10. सम्बंधित आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका.....को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलवाने की कार्यवाही करे।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
12. प्रभारी, मोनेटरिंग सैल, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी